

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/ग्रुप-1/2013/III

जयपुर, दिनांक: **21 APR 2017**

-:आदेश:-

राजस्थान सिविल सेवा(परि. निदेशक, मुख्य कार्य.अधिकारियों, अति. जि.का.स. (रो.गा.स्की.)अधिशायी अभियन्ताओं और परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तों) नियम, 1975 एवं संशोधित नियम, 2013 के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के चयनित निम्नांकित अधिशायी अभियन्ताओं का विशेष चयन तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए इन्हे आज दिनांक 21.04.2017 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त कर इनकी सेवाएं पैतृक विभाग(जल संसाधन विभाग) को लौटाई जाती हैं। इन्हें दिनांक 21.04.2017 के पश्चात् विशेष चयन नियमों के अन्तर्गत विशेष वेतन अथवा अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे :-

क्र.सं.	अधिशायी अभियन्ता का नाम	वर्तमान पदस्थापन
1.	श्रीमती संगीता सोलंकी	अधिशायी अभियन्ता(अभियांत्रिकी), जिला परिषद, बीकानेर
2.	श्री श्रीनिवास नेहरा	अधिशायी अभियन्ता(अभियांत्रिकी), जिला परिषद, सीकर

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।


(सीमा सिंह)


संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.राज विभाग, राज जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज, जयपुर।
7. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर एवं सीकर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया श्रीमती सोलंकी/श्री नेहरा को आज ही कार्यमुक्त कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

लगातार

9. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर ।
10. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर ।
11. श्रीमती संगीता सोलंकी, अधि.अभि.(अभियांत्रिकी), जिला परिषद, बीकानेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने पैतृक विभाग में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करे ।
12. श्री श्रीनिवास नेहरा, अधि.अभि.(अभियांत्रिकी), जिला परिषद, सीकर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने पैतृक विभाग में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करे ।
13. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।


21/04/2017
(राजेश कुमार शर्मा)
परियोजना अधिकारी(प्रशासन)